महत्वपूर्ण सूचना
(शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु)

कार्यालय आयुक्त, संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के सूचना दिनांक 27.08.2024 के पालनार्थ इस चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत नीट यूजी–2025 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश हेतु उपस्थित हो रहे समस्त **शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों** (GS Quota) के छात्र/छात्राएं मूल दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवेः–

1. अभ्यर्थी जिनके द्वारा कक्षा 6वी से 12वी तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में नियमित अध्ययन किया है को प्रपत्र–10 अनुसूची–3 क्रमांक 9 (क) अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये शासकीय विद्यालय विद्यार्थी के प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 6वी से 12वी तक की अंकसूची की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा, किसी कक्षा की अंकसूची उपलब्ध न होने पर संबंधित शासकीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के उस कक्षा में किये गये अध्ययन के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

2. अभ्यर्थी जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कक्षा 1 से 8वी तक निजी विद्यालय में अध्ययन किया गया हो उन्हे शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रमाण पत्र प्रपत्र–10 अनुसूची–3 क्रमांक 9 (क) एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वी से 12वी उत्तीर्ण की अंकसूची के साथ निजी विद्यालय के प्राचार्य द्वारा शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार
नोडल अधिकारी
नीट यूजी काउंसिलिंग–2025